भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 7045

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 8 मई, 2015/18 वैशाख, 1937 (शक) को दिया गया)

<u>निजी कंपनियों का विनियमन</u>

7045. श्री राधेश्याम विश्वास :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में निजी कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को वेतन और अन्य भत्तों के भुगतान के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अवहेलना के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कंपनी-वार क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा ऐसे मामलों में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं/करने का विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (घ) : कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधान दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी हैं। किसी सूचीबद्ध कंपनी की किसी सहायक कंपनी के बोर्ड स्तर के प्रबंधकीय कार्मिकों के वेतन को छोड़कर, किसी निजी कंपनी के प्रबंधकीय कार्मिकों या कर्मचारियों का वेतन इस अधिनियम के तहत विनियमित नहीं होता है।

*****